



## Meticulous Investigation & Prosecution



### BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर चोरी करने के आरोपी सचिन तोमर को हुआ 03 वर्ष 03 माह 16 दिन का कारावास व 2000 रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

अवगत कराना है कि वर्ष-2021 में अभियुक्त सचिन तोमर पुत्र बृहम सिंह निवासी बडौली रोड कस्बा बडौत थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा चोरी करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके विरुद्ध थाना छपरौली पर मु0अ0सं0-201/2021 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत हुआ था । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 25.10.2024 को मा0 न्यायालय अपर सिविल जज जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त सचिन तोमर को दोषी पाते हुए 03 वर्ष 03 माह 16 दिन का कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है । बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।



Baghpat Police



baghpatpolice



@baghpatpolice



## Meticulous Investigation & Prosecution



### BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में नाबालिग लडकी के साथ छेडछाड व मारपीट करने के आरोपियों बिडू, राजेश, बबलू व संजू को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 03 वर्ष का कठोर कारावास व 06-06 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2016 में अभियुक्त बिडू पुत्र लेखा, राजेश पुत्र जयपाल, बबलू पुत्र प्रेम व संजू पुत्र रोहतास निवासी गण ग्राम सरुरपुर कलां थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा नाबालिग लडकी के साथ छेडछाड व मारपीट करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 481/2016 धारा 147/148/149/323/324/325/354/354घ/506 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 25.10.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट-05 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों बिडू, राजेश, बबलू व संजू को दोषी पाते हुए प्रत्येक को 03 वर्ष के कठोर कारावास व 06-06 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियुक्त बबलू को धारा 354 भादवि व 11/12 पोक्सो एक्ट में 03 वर्ष के कठोर कारावास व 12000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा



श्री नरेंद्र सिंह पंवार एडीजीसी  
जनपद बागपत



आरुण कौशिक हरदीप कुमार कोर्ट  
पैरोकार थाना कोतवाली बागपत



@baghpatpolice



baghpatpolice



Baghpat Police



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर

दिनांक 25.10.2024

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 197/2024 धारा 305(A) BNS का सफल अनावरण करते हुये 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ एक आधार कार्ड, 6100 रुपये नगद तथा घटना में प्रयुक्त एक मो0सा0 TVS SPORT व एक अवैध चाकू बरामद ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.10.2024 को थाना चांदीनगर पर वादी सचिन कुमार पुत्र बीर सिंह निवासी ग्राम भगौट थाना चांदीनगर जनपद बागपत ने सूचना दी अज्ञात चोर द्वारा वादी व मोहल्ले में रहने वाले मुकेश कुमार के घर में बने पूजा के कमरे से नगदी व अन्य सामान चुरा लिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना चांदीनगर पर



मु0अ0सं0 197/2024 धारा 305(A) BNS पंजीकृत किया गया ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 197/2024 धारा 305(A) BNS का सफल अनावरण करते हुये एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ एक आधार कार्ड, 6100 रुपये नगद तथा घटना में प्रयुक्त एक मो0सा0 TVS SPORT नं0 UP13CD8649 व एक अवैध चाकू बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**नोट-**बरामदगी के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

लक्की पुत्र धर्मेन्द्र निवासी तिल की मडईयां थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

**बरामदगी का विवरण-**

- एक आधार कार्ड।
- 6100 रुपये नगद।
- घटना में प्रयुक्त 01 मो०सा० TVS SPORT नं० UP13CD8649
- घटना में प्रयुक्त एक अवैध चाकू।

**गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-**

1-मु०अ०सं० 197/2024 धारा 305(A)/ 317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

2-मु०अ०सं० 243/2024 धारा 380.411 भादविव थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

3-मु०अ०सं० 260/24/2024 धारा 411,457 भादविव थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

- 1-उ०नि० श्री विकुल कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 2- है०का० 186 इमरान खान थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 3- है०का० 618 ताराचन्द्र थाना चांदीनगर जनपद बागपत।



प्रेस नोट

थाना चांदीनगर बागपत

दिनांक 25.10.2024

थाना चांदीनगर पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त सलमान पुत्र फइयाज को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

सलमान पुत्र फइयाज निवासी ग्राम पांची थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री उ0नि0 श्री अमर सिंह - थाना चांदीनगर जनपद बागपत
- 2-है0का0 676 अरविन्द कुमार - थाना चांदीनगर जनपद बागपत
- 3-का0 938 जसवंत - थाना चांदीनगर जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत  
थाना छपरौली

दिनांक 25.10.2024

थाना छपरौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अवैध शराब तस्करो को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 52 पच्चे अवैध देशी शराब बरामद ।

### कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अवैध शराब तस्करो को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से 52 पच्चे अवैध देशी शराब बरामद हुई है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1- सावन पुत्र बलजोर सिंह निवासी ग्राम तुगाना थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2- करमवीर पुत्र रामफल निवासी पट्टी धंधान करबा व थाना छपरौली जनपद बागपत ।

### बरामदगी का विवरण-

52 पव्वे अवैध देशी शराब ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अनुज कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 3-का0 1028 मुरली थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 4- का0 227 अनिल कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक 25.10.24

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 228/24 धारा  
137(2)/65(1)/127(2)/142 बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त  
को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 228/24 धारा 137(2)/65(1)/127(2)/142 बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अपहृता को दिनांक 06-09-2024 को थाना छपरौली पुलिस द्वारा बरामद किया चुका है।

थाना रमाला पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त मन्दीप पुत्र सुन्दर को दिनांक 11.10.24 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-


सन्दीप पुत्र स्व0सुन्दर निवासी ग्राम सिनौली थाना छपरौली जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व0उ0नि0 श्री गवेन्द्रपाल सिंह थाना छपरौली ।

2-उ0नि0 श्री अमित कुमार गोला थाना छपरौली ।

3-का0 633 जहाँगीर थाना छपरौली ।





**प्रेस नोट**  
**थाना बिनौली**      **दिनांक 25.10.2024**

**थाना बिनौली पुलिस ने 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।**

**कार्यवाही-**

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



**गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्तों का नाम व पता-**

- 1-अशोक कुमार पुत्र श्याम सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत
- 2-कविन्द्र पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम जिवाना गुलियान थाना बिनौली जनपद बागपत ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

- 1-उ0नि0 श्री नीलकान्त सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-का0 813 दोसेन्द्र कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3-हो0गा0 435 प्रणवीर सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 25-10-2024


**थाना बिनौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध विस्फोटक पदार्थ तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से करीब 10 किलोग्राम अवैध पटाखे बरामद ।**

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध विस्फोटक पदार्थों की तस्करी करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अवैध विस्फोटक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से करीब 10 किलोग्राम अवैध पटाखे बरामद हुये ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 242/24 धारा 9B(2) विस्फोटक अधि0-1884

पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

इकबाल पुत्र रहमू उर्फ रहमुद्दीन निवासी ग्राम बडावद थाना बिनौली जनपद बागपत ।

### बरामदगी का विवरण-

- 10 किलोग्राम अवैध पटाखे ।

**गिरफ्तार व बरामद करने वाली पुलिस टीम-**

1-उ0नि0 दुर्गेश कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2-उ0नि0यूटी श्री शत्रुघन यादव थाना बिनौली जनपद बागपत ।

3-का0 966 नरेश कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत

